5. क्रेता (Buyer) – 'क्रेता' को S.O.G.A, 1930 की Section. 2(1) में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार 'क्रेता' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो माल को खरीदता है या खरीदने करने को तैयार होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, जिसे खरीद (क्रय) करने का विकल्प प्राप्त हो क्रेता तभी बनता है जबकि उसने इस विकल्प का प्रयोग किया हो।

6. माल की सुपुर्दगी (Delivery of Goods) – 'परिदान' अर्थात माल की सुपुर्दगी को Sale of Goods Act, 1930 की Sec. 2(2) में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार – 'माल की सुपुर्दगी' से अभिप्राय है जब माल का हस्तान्तरण (Transfer) स्वेच्छापूर्वक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाये। तो इसे माल की सुपुर्दगी कहते हैं।

वास्तविक रूप से माल की सुपुर्दगी उस समय होती है जब माल विक्रेता या उसके अभिकर्ता के हाथ में से क्रेता या उसके अभिकर्ता के हाथ में पहुँच जाता है। परन्तु जब माल विक्रय के उपरान्त भी विक्रेता या उसके अभिकर्ता या किसी तीसरे व्यक्ति के पास पड़ा रहता है तो इस प्रकार की सुपुर्दगी माल की प्रलक्षित सुपुर्दगी (Constructive Delivery) कहलाती है। अतः माल की सुपुर्दगी तीन प्रकार से की जा सकती है।

(a) – Actual Delivery – Physical Delivery of goods – अर्थात हाथों - हाथों माल का कब्जा सौंप देना।

(b) – Constructive Delivery – माल की Position Change किये बिना माल का कब्जा (Possession) सौंप देना इसमें माल

का Actual Place नहीं बदलता है।

(c) Symbolic Delivery (प्रतीकात्मक सुपुर्दगी) - इसमें माल की सुपुर्दगी प्रतीकात्मक रूप से की जाती है अर्थात कार; बस या ट्रक, या कपड़े के माल की गांठे आदि को सर पर रखकर नहीं लाया जा सकता है इनका टोकन या बिल्टी दे दी जाती है उसके माध्यम से माल प्राप्त कर लिया जाता है।

वैध माल की सुपुर्दगी के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरण स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य माल का चुराता है तो यह सुपुर्दगी नहीं होगी।

7. <u>माल के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज (Documents for title of Goods)</u> -

Sale of Goods Act, 1930 की धारा 2(4) में 'माल के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज' को परिभाषित किया गया है जो कि इस प्रकार है -

"जहाज पर लादे गये माल का बीजक (Bill of Landing), बन्दरगाह पर जहाज के उतारने की शक्ति पत्र (Dock warrent), गोदाम रक्षक (warehouse keepers) का प्रमाण-पत्र, घाट के स्वामी (Wharfinger) का प्रमाण, रेलवे की रसीद, माल सौंपने के लिए वारण्ट या आदेश और अन्य कोई ऐसा प्रलेख जिसका प्रयोग व्यापार के साधारण अनुक्रम में माल के आधिपत्य या नियन्त्रण के प्रमाण के रूप में या प्रलेख के आधिपत्य रखने वाले को, या तो पत्र लेखन या सौंपने, के द्वारा अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये माल को हस्तान्तर या प्राप्त करते हुए या अधिकृत करने के प्रयोजन से हुआ हो सम्मिलित है।"

इस प्रकार इस धारा में दिये गये दस्तावेज तथा अन्य कोई भी दस्तावेज जो व्यापार की सामान्य रीति में उपयोग में लाये जाते हों और जिनके द्वारा माल के कब्जे या नियन्त्रण या माल का अधिकरण या अभिकरण को इच्छा व्यक्त हो, वे माल के स्वामित्व के दस्तावेज होंगे।

एक प्रमुख वाद में मैसूर उच्च न्यायालय ने अभिमत निर्धारण किया कि "निर्गमित मार्ग-पत्र हक का दस्तावेज है।"

8. <u>व्यापारिक अभिकर्ता (Mercantile Agent)</u> –

'व्यापारिक अभिकर्ता' को S.O.G.A, 1930 की धारा 2(9) में परिभाषित किया गया है- जिसके अनुसार - 'व्यापारिक अभिकर्ता' से तात्पर्य ऐसे व्यापारिक अभिकर्ता से है जो ऐसे अभिकर्ता के रूप में व्यापार के प्रथागत अनुक्रम में या तो माल के विक्रय या विक्रय के प्रयोजनों के लिए माल के प्रेषण (Consign) या माल के क्रय या माल की प्रत्याभूति पर रुपया इकट्ठा करने का प्राधिकार रखता हो।

"रत्नाभूषणों का दलाल जिसे विक्रय के लिए रत्नाभूषण उसके स्वामियों द्वारा दिये जाये एक व्यापारिक अभिकर्ता है।"

9. <u>मूल्य (Price)</u> –

इस पद की परिभाषा माल विक्रय अधि० 1930 की धारा 2(10) में दी गई है। जिसके अनुसार – "माल की बिक्री के लिए धन के रूप में प्रतिफल मूल्य कहलाता है"। जब एक व्यक्ति कोई माल खरीदता है और इसका प्रतिफल धन (मुद्रा) में चुकता है तो उसे कीमत कहा जाता है। यदि

प्रतिफल धन के अलावा किसी अन्य रूप में दिया गया है तो वह मूल्य नहीं कहलायेगा। मूल्य या तो तुरन्त चुकाया जा सकता है या उसके भविष्य में चुकाने की प्रतिज्ञा की जा सकती है, परन्तु यह हर हाल में धन होना चाहिए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार - "धन के अन्तर्गत केवल सिक्के (Coins) ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि इसमें बैंक का परिपत्र (Bank notes), या राजकीय प्रोनोट (Government Promissory note), बैंक में जमा राशि (Bank Deposits) और इसके अतिरिक्त ऐसे सभी पत्र और जमानतें (Paper obligation) आती हैं, जिनको धन के रूप में बदला जा सके, और जिनको बदलने में किसी प्रकार की बाधा न हो, धन के अन्तर्गत आती है।

यदि माल के बदले धन नहीं दिया जाता है तो यह माल का विक्रय नहीं होगा। और जहाँ माल के बदले माल दिया जाता है उसे माल का विनिमय (Exchange) कहा जाता है।